Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 5, Issue 2 – 2020
ISSN: 2581-3501

सीधी जिले के कुसमी तहसील के आदिवसियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण

सचिन कुमार सिंह[1], प्रभाकर सिंह[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विषय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म. प्र.)

[2]प्राध्यापक वाणिज्य एवं शोध निर्देशक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म. प्र.)

सारांश

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों के साथ-साथ आदिवासियों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय, स्थिति और अवसरों की समानता के साथ-साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति के समान अवसारों को प्राप्त करने का प्रावधान निहित है। प्रस्तुत शोध पत्र सीधी जिले के कुसमी तहसील के आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से संबंधित है। अध्ययन में प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि परिवार के मुखिया घरेलू पेशे से जुडे हुये हैं। प्रतिदर्श आकार के प्राप्त परिणाम से ज्ञात हुआ है कि कुसमी तहसील के अधिकांश आदिवासियों का प्राथमिक कार्य कृषि से संबंद्घ है। प्रतिदर्श आबादी के आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। जिसमें 58 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों की मासिक आय 10000 रूपये से कम है। इस प्रतिशत में दैनिक वेतनभोगी आदिवासी भी सम्मिलित है। आदिवासियों के शैक्षिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शैक्षणिक विकास कार्यक्रम द्वारा आदिवासियों के जीवन-स्तर को प्रगतिशील बनाकर उनको बेतर भविष्य के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए।

मूलशब्द: आदिवासी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, कृषि, सीधी, कुमसी।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

प्रस्तावना

आदिवासियों के विकास के संबंध में पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आदिवासियों का विकास उनकी अपनी सोच और स्थिति के अनुसार होनी चाहिए और तभी उनका व्यवस्थित विकास हो पायेगा। आदिवासी आबादी की पहचान हमारे देश के मूल निवासियों के रूप में की जाती है। सदियों से, ये प्राकृतिक वातावरण के आधार पर एक साधारण जीवन जी रहे हैं और अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ सांस्कृतिक आदर्श प्रतिमान विकसित किये हुए हैं। ऐसे आदिवासी समूहों के संदर्भ प्राचीन काल, रामायण और महाभारत काल (मेहता, 2006) से भी पुराने साहित्य में मिलते हैं। एल. पी. विद्यार्थी (1981) के अनुसार, आदिवासी एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका निश्चित क्षेत्र, सामान्य नाम, सामान्य वंश, सामान्य संस्कृति, एक अंतः समूह का व्यवहार, सामान्य वर्जनाएँ इत्यादि के साथ-साथ विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व को भी बनाये हुये हैं। आदिवासी समुदाय अपनी अर्थव्यवस्था और उसके नेतृत्व के लिए आत्मनिर्भरता के प्रति अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं (राव 2013)। संम्पूर्ण विश्व में लगभग 20 करोड़ आदिवासी हैं, जो विश्व की संम्पूर्ण जनसंख्या में इनकी आबादी लगभग 4 प्रतिशत है। ये दुनिया के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उनमें से अधिकांश गरीबों से भी अति गरीब हैं। भारत की कुद आबादी में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6 प्रतिशत है (भारत की जनगणना 2011)।

भारत में आदिवासी क्षेत्र

भारतीय संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया है। आदिवासी भारत के स्वदेशी हैं, उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, जो भौगोलिक रूप से अलग-थलग हैं और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में निम्न जीवन स्तर की है। जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण आदिवासी लोग सदियों से सामान्य विकास प्रक्रिया के दायरे से बाहर रहे हैं (एल्विन 1960)। स्वतंत्रता पश्चात्, भारत सरकार ने संविधान में आदिवासी समूहों को सूचीबद्ध किया है और भारत के सभी राज्यों के आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए हैं (शर्मा 1982)। आज देश के 75 आदिवासी समूह सबसे पिछड़े हैं, उन्हें आदिम जनजातीय समूह में रखा गया है। देश के अधिकांश आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी, दुर्गम अविरल तथा पठारी भूमि युक्त क्षेत्र में रहते हैं। ऐसी विषम स्थिति के

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

कारण शासन तथा प्रशासन द्वारा इनके सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों को तैयार किया है (भौमिक 2005)। जिसके फलस्वरूप ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, संचार, पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएँ बढ़ाई गयी हैं (कानून्गों 2010 एवं माल्याद्री 2011)।

विश्व में अफ्रीका के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी बहुल्य देश है। इसीलिए भारत देश को मानव विज्ञान की दृष्टि से नृजातीय समूहों के लिए उत्कृष्ट शोध हेतु विश्व का सबसे आकर्षक राष्ट्र माना जाता है। भारत में 550 से अधिक आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिनमें से कुल 75 आदिवासियों जातियों को आदिम जनजाति समूह के रूप में घोषित किया गया है जो पूरे देश में फैले हुए हैं। आदिवासी आबादी की पहचान हमारे देश के मूल निवासियों के रूप में की जाती है (बक्सी एवं बेबर)। उन्हें भारत के लगभग हर राज्य में देखा जाता है। सदियों से, ये प्राकृतिक वातावरण के आधार पर एक साधारण जीवन जी रहे हैं और अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के लिए सांस्कृतिक प्रतिरूप विकसित किये हुये हैं। ऐसे आदिवासी समूहों के संदर्भ प्राचीन काल में रामायण और महाभारत काल के साहित्य में भी मिलते हैं (नायडू 2002)।

तालिका संख्या 1.भारत में राज्यवार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत (1981-2011)

क्र.सं.	राज्य/क्रेन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या			
		1981	1991	2001	2011
1.	आंध्र प्रदेश	5.93	6.3	8.8	7
2.	अरूणांचल प्रदेश	69.82	63.7	64.2	68.8
3.	असम	-’	12.8	12.4	12.4
4.	बिहार	8.31	7.7	0.9	1.3
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	30.6
6.	गोवा	0.99	0.03	0	10.2
7.	गुजरात	14.22	14.92	14.8	14.8
8.	हरियाणा	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4.61	4.22	4	5.7
10.	जम्मू एवं काश्मीर	-	-	10.9	11.9

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

11.	झारखण्ड	-	-	-	26.2
12.	कर्नाटक	4.91	4.3	6.6	7
13.	केरल	1.03	1.10	1.1	1.5
14.	मध्य प्रदेश	22.97	23.27	20.3	21.1
15.	महाराष्ट्र	9.19	9.27	8.9	9.4
16.	मणीपुर	27.30	34.41	34.2	35.1
17.	मेघालय	80.58	85.53	85.9	86.1
18.	मिजोरम	93.55	94.75	94.5	94.4
19.	नागलैण्ड	83.99	87.70	89ण्1	86.5
20.	उड़ीसा	22.43	22.2	22.1	22.8
21.	पंजाब	-	-	-	-
22.	राजस्थान	12.21	12.44	12.6	13.5
23.	सिक्किम	23.27	22.36	20.6	33.8
24.	तमिलनाडू	1.07	1.03	1	1.1
25.	त्रिपुरा	28.44	30.95	31.1	31.8
26.	उत्तर प्रदेश	0.21	0.21	0.1	0.6
27.	उत्तराखण्ड	-	-	-	2.9
28.	पश्चिम बंगाल	5.63	5.6	5.5	5.8
29.	अंण्डमान एवं निकोबार द्वीप	11.85	9.54	8.3	7.5
30.	चंण्डीगढ़	-	-	-	-
31.	दादर एवं नगर हवेली	78.82	78.99	62.2	52
32.	दमन एवं दीव	-	11.5	8.8	6.3
33.	दिल्ली	-	-	-	-
34.	लक्ष्यदीप	93.82	93.15	94.5	94.8
35.	पाण्डूचेरी	-	-	-	-

स्रोतः जनगणना रिपोर्ट, 1981, 1991, 2001, 2011

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 5, Issue 2 – 2020
ISSN: 2581-3501

कुसमी तहसील में आदिवासियों की स्थिति

पूर्व काल से पहले मानव एक ऐसे सामाजिक परिवेश में रहता था, जो विशुद्ध रूप से अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्राकृतिक स्रोतों तथा वन्य जीवों के शिकार पर ही निर्भर रहते थे। अविश्वसनीय रूप से बढ़ती मानव और पशु आबादी, दबाव का माहौल, आर्थिक उपभोक्ता बाजार, औद्योगिक विकास और अन्य कई संबंधित कारकों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ है। उक्त सभी क्रियाओं के कारण जंगलों का क्षरण हुआ तथा कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल आदिवासी की मातृभूमि का पतन हुआ है। कृषि के विभिन्न तरीके जैसे झूम खेती और वन के दोहन के आदिम तरीकों से जंगल के भीतर और बाहर रहने वाले लाखों आदिवासी लोगों को उपभोग हेतु उत्पादन प्राप्त होता था जिससे बड़े पैमाने पर वन की हानि होती थी। जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान कर विदोहन को नियंत्रित किया गया है। इस तरह भारत की अद्वितीय प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों को संरक्षण द्वारा नया आयाम प्राप्त हुआ (मेश्राम 2017)।

मानव समाज जिस परिवेश में रहता है, उसी परिवेश में वह एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सामान्यतः मानव समाज चाहे वह भले ही अन्य भागों और उसकी प्रकृति को न समझता हो फिर भी वह अपने सामाजिक ताने-बाने के साथ वहाँ पर निवास करता है। इस प्रकार अपने रहन-सहन के तौर तरीके से व्यक्ति अपने सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश से दुनिया के बाकी हिस्सों के बारे में सोचता हैं। वस्तुतः मानव समाज किसी न किसी तरह से या अन्य तरीके से अद्वितीय हैं, जिसके कारण ही ये अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं को साझा करते पाए जाते हैं। इसलिए आरंभ में समाजों को स्थापित करने और उनके संबंधों के परिणामों को बाहर लाने के लिए सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना आवश्यक था (थाकर 1986), और यहीं से आदिवासियों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इनके विकास के आयाम को तैयार करने की नीतियों का क्रियान्वयन किया गया। शनैः शनैः ये विकास की मुख्याधारा से जुड़ने का प्रयास किये है जो अभी भी अनवरत जारी है।

भारतीय परंपरा और इसकी विरासत आज विविध रंग-बिरंगी संस्कृतियों का समागम स्थल बन गया है। शहरी, ग्रामीण, लोक, पुरातन और आधुनिक संस्कृतियों को भारत की आदिवासी

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

सभ्यता में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न परंपराओं, बहु-भाषा और विशिष्ट धर्म को भारतीय परंपराओं में स्थान प्राप्त हुआ (वैध 2003)। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सभ्यता वृहद समाज और परंपराओं के रूप में एकीकृत हुई है। सीधी जिले की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 1127033 है, जिसमें आदिवासियों की कुल आबादी 313304 है। इनकी यह आबादी जिले के कुल जनसंख्या में से 27.80 प्रतिशत है। मूल रूप से जिले की इस आबादी में 6 प्रकार के आदिवासी जातियाँ अपने सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुसार समुदाय निवास करती हैं। जिले में कुसमी तहसील एक मात्र आदिवासी तहसील के रूप में गठित की गई है। इस तहसील में आदिवसियों की कुल जनसंख्या 49552 है, जिसमें 24949 पुरूष एवं 24603 महिलाएँ है। जिले की कुल आदिवासियों की आबादी में कुमसी तहसील के आदिवासियों का प्रतिशत 15.81 है। कुसमी तहसील में गोड़, बैग, पनिका, अगरिया, खैरवार तथा कोल इत्यादि सभी प्रकार के आदिवासी जातियाँ पायी जाती है।

अध्ययन का महत्व

आदिवासी समाज की मुख्य समस्या यह है कि आदिवासी लोगों में उचित जागरूकता और समझ नहीं है। सरकारी दृष्टिकोण से, यहाँ तक कि सरकार ने उन्हें लाभान्वित करने वाली बहुत सी योजनाएँ शुरू की हैं, जिसका संम्पूर्ण लाभ आदिवासियों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। अधिकांश बैंक उन्हें ऋण देने में संकोच करते हैं, क्योंकि उनके पास समुचित आय के स्रोत नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पहचानने के लिए हैं कि कुमसी तहसील के आदिवासी लोगों में सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था किस तरह की है। इसके अतिरिक्त अध्ययन में कुमसी तहसील के आदिवासी लोगों के समग्र कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता की आवश्यकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

समस्या का विवरण

भारत के आदिवासी समुदायों के संदर्भ में आर्थिक समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपलब्ध शोध अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि आदिवासी समाज अपनी अज्ञानता, गरीबी तथा निम्न पोषण स्तर के कारण विभिन्न संक्रमण रोगों के बोझ में दबे हुये हैं। साथ ही ये समाज की मुख्याधार में शोषित और नियंत्रित है। कुमसी तहसील के

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

आदिवासियों के पास निम्न बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ हैं। क्षेत्र के आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, धर्म, कानून और व्यवस्था की स्थिति, स्व-केंद्रित प्रवृत्ति आदि विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याएँ हैं। उन्हें सरकार द्वारा सामान्य दर्जे की सुविधाएँ ही प्राप्त होती है क्योंकि सरकारी योजनाएं आमतौर पर संम्पूर्ण जिले के लिए तैयार की जाती हैं, जो यहाँ के आदिवासियों के संबंध में वास्तविकता से परे है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. कुसमी तहसील के आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. कुसमी तहसील के आदिवासी लोगों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधा का अध्ययन करना।
3. कुसमी तहसील में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना।

विधितंत्र एवं आंकाड़ों का संकलन

अध्ययन के लिए कुसमी तहसील का चयन किया गया है, क्योंकि कुसमी तहसील में अत्यधिक संख्या में आदिवासियों की आबादी है, इसीलिए सीधी जिले के कुसमी तहसील को अध्ययन करने हेतु चयनित किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक आंकड़े संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किये गये है। जिसमें आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। उत्तरदाताओं को जब भी किसी प्रश्न के संबंध में कोई संदेह महसूस हुआ है तो उसे शोधकर्ता द्वारा आसानी से स्पष्ट कर संदेह को दूर किया है। इसके लिए शोधकर्ता ने अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्रतिदर्श आकार को अपनाया है। जबकि द्वितीय आंकड़े विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों, वेबसाइटों के माध्यम से संकलित किये गये हैं।

प्रतिचयन का आकार

प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का उपयोग कर कुल 150 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया है। सभी चयनित उत्तरदाता कुसमी तहसील के निवासी है। शोध आलेख में सामान्यतौर पर सरल प्रतिशत पद्धति का उपयोग कर आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन सीधी जिले के कुसमी तहसील के आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से प्राप्त आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित है। अध्ययन मूलतः आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों पर केंद्रित है।

आंकड़ों का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन सीधी जिले के कुमसी तहसील में निवासित आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की भूमिका को जानने के लिए किया गया है। आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में उनके विभिन्न कारकों यथा लिंग, आयु, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय व पेशा, आय का स्तर, भूमि धारिता का आकार, ऋण लेने संबंधी अभिमत, वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने संबंधी जानकारी तथा ऋण लेने के उद्देश्य आदि का परीक्षण संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त प्रतिउत्तर के आधार पर किया गया है। अधूरी और गलत जानकारी और कुछ सवालों के गैर-जवाबों से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए अध्ययन में प्राप्त आंकड़ें आदिवासी उत्तरदाताओं की वर्तमान स्थिति का निरक्षण एवं परीक्षण करके किया है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण निम्नानुसार है-

तालिका क्र. 1.उत्तरदाताओं का लिंगवार विभाजन

लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरूष	96	64.0
महिला	54	36.0
कुल	150	100.0

स्रोतः प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर लिंगवार विभाजन को प्रदर्शित किया है, जिसमें 64 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं है जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाताएँ महिला है। अतः ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं में सबसे अधिक संख्या पुरूष उत्तरदाताओं की है।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

तालिका क्र. 2.आयुवार उत्तरदाताओं का विभाजन

आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
20 वर्ष से कम	17	11.4
21से 30 वर्ष के बीच	76	50.6
31 से 40 वर्ष के बीच	25	16.6
41 से 50 वर्ष के बीच	20	13.4
50 वर्ष के ऊपर	12	08.0
कुल	150	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं का 50.6 प्रतिशत भाग 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में है, इसी प्रकार 16.6 प्रतिशत उत्तरदाता 31 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं, 11.4 प्रतिशत उत्तरदाता 20 वर्ष से कम आयु के है, 13.4 प्रतिशत उत्तरदाता 41 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के हैं जबकि जबकि 8 प्रतिशत उत्तरदाता 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

तालिका क्र. 3.उत्तरदाताओं का शैक्षिक विभाजन

शैक्षिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	65	43.4
प्राथमिक	45	30.0
माध्यमिक	25	16.6
हायरसेकण्ड्री	10	06.6
स्नातक	05	03.4
कुल	150	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं को उनकी योग्यता के अनुसार चार श्रेणियों यथा अशिक्षित, प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकण्ड्री तथा स्नातक में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें 43.4 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर स्तर पर है, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

प्राथमिक विद्यालय स्तर पूरा किया है, 16.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी पढ़ाई माध्यमिक स्तर तक की है। 6.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हायरसेकण्ड्री तक पढ़ाई की है, जबकि केवल 3.4 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर को पूर्ण किया है।

तालिका क्र. 4.उत्तरदाताओं का व्यवसायवार विभाजन

व्यवसाय	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
कृषि	120	80.0
शासकीय सेवक	10	06.6
दैनिक मजदूरी	15	10.0
अन्य	05	03.4
कुल	150.	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त तालिका क्र. 4 से ज्ञात होता है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं, इसी प्रकार 6.6 प्रतिशत उत्तरदाता शासकीय सेवक की श्रेणी में आते है, 10 प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक मजदूरी करते हैं जबकि 3.4 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य कार्य से अपनी अजीविका चलाते हैं।

तालिका क्र. 5.उत्तरदाताओं का आयवार विभाजन

आय	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
5000 रूपये से कम	50	33.4
5000 रूपये से 10000 रूपये	37	24.6
10000 रूपये से 15000 रूपये	30	20.0
15000 रूपये से 20000 रूपये	23	15.4
20000 रूपये से ऊपर	10	06.6
कुल	150	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकडे

उपरोक्त तालिका क्रमांक 5 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 33.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 5000 रूपये से कम है। इसी प्रकार 24.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

आय 5000 से 10000 रुपये के बीच है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 10000-15000 के बीच है, इसी तरह 15.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 15000 रूपये से 20000 रूपये तक है। जबकि केवल 6.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ही ऐसे है जिनकी मासिक आय 20000 रुपये से ऊपर की सीमा अर्जित की है।

तालिका क्र. 6.उत्तरदाताओं द्वारा भूमि धारिता का विभाजन

भूमि धारिता का आकार	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
2 एकड़ से कम	45	30.0
2 से 4 एकड़	80	53.0
4 से 5 एकड़	15	10.0
5 एकड़ से अधिक	10	7.0
कुल	150	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकडे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से 53 प्रतिशत के पास 2 से 4 एकड़ जमीन है, इसी प्रकार 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 2 एकड़ से कम की भूमि है और 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 4 से 5 एकड़ जमीन है जबकि केवल 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है।

तालिका क्र. 7.उत्तरदाताओं में ऋण लेने संबंधी अभिमत

ऋण लेने संबंधी अभिमत	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
ऋण लेते है	110	73.4
ऋण नहीं लेते हैं	40	26.6
कुल	150	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकडे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 73.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी न किसी बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि 26.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने अभिमत में कहा है कि वे किसी भी बैंक से ऋण नहीं लिये हैं।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

तालिका क्र. 8.वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के प्रति उत्तरदाताओं का अभिमत

वित्तीय संस्थान	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
सहकारी बैंक	80	53.4
निजी क्षेत्र के बैंक	16	10.6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	35	23.4
अन्य संस्थान	19	12.6
कुल	150	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकडे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 53.4 प्रतिशत उत्तरदाता सहकारी बैंक से ऋण लेते हैं, इसी प्रकार 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेते हैं, 12.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे अन्य संस्थानों से ऋण लेते हैं, जबकि 10.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ऋण लेने के संबंध में स्पष्ट किया है कि वे निजी क्षेत्र के बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं।

तालिका क्र. 9.उत्तरदाताओं द्वारा ऋण लेने का उद्देष्य

ऋण लेने का उद्देश्य	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्व-रोजगार हेतु	15	10
कृषि कार्य हेतु	120	80
व्यापार हेतु	11	7.4
अन्य कार्य हेतु	04	2.6
कुल	150	100.0

स्रोत: प्राथमिक आंकडे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि में निवेश करने के उद्देश्य से ऋण लेते हैं, इसी प्रकार 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि वे स्वरोजगार हेतु ऋण लेते हैं, 7.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं व्यापार करने के उद्देश्य से ऋण लेते हैं जबकि केवल 2.6 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ऋण लेते हैं।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

निष्कर्ष एवं सुझाव

कुसमी तहसील के आदिवासी समुदाय वर्तमान में कृषि संरचना और व्यापार से जुड़े हुये है जिसके कारण इनमें आर्थिक गतिशीलता आयी हैं। हालाँकि, कुसमी तहसील के आदिवासी समुदाय में कृषि आर्थिक परिदृश्य पर हावी है और मुश्किल से 5 प्रतिशत आदिवासी श्रमिक गैर-कृषि कार्यों में लगे हैं। कुल भूमि की तुलना में कृषि भूमि आदिवासियों के पास मुख्य संपत्ति है, जो बहुत कम है। सीधी जिले के अन्य तहसीलों की तुलना में कुसमी तहसील के आदिवासियों की साक्षरता कम है। इनकी सामाजिक सेवाएँ व अधोसंरचना निम्न स्तर की है, जिससे अन्य समाजों के साथ इनको अधिक असमानता के अस्तित्व द्वारा संयोजित किया जाता है। शैक्षिक स्थिति के बारे में आदिवासी उत्तरदाता अब सजग हुये हैं। हालांकि, अधिकांश उत्तरदाता निरक्षर हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का लाभ उठाये। परिवहन, संचार और स्वास्थ्य की सुविधा क्षेत्र में प्रदान की जा रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने आदिवासियों के लिए परिवहन, संचार और स्वास्थ्य की सुविधा के विकास में बहुत रुचि दिखाई है। परिवहन सुविधा के संबंध में, आदिवासियों के विकास के लिए शिक्षा और सरकारी उपायों ने अपना महत्व बनाया है और यह आदिवासियों तक पहुँचाई गयी है जो वास्तव में प्रशंसनीय है। आदिवासियों को ऋण देने में अब बैंकिंग संस्थान उदारता अपनाये हुये है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, कुसमी तहसील के आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन संदर्भित किया गया है। अध्ययन परिणाम से ज्ञात हुआ है कि कुसमी तहसील के आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में केवल आंशिक विकास हुआ है।

अतः प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर स्पष्ट होता है कि हम सभी के जीवन में सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी लोग निम्न स्तर की आय अर्जित करते हैं जिससे वर्तमान समय में उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। कुसमी तहसील में सड़क, संचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी संरचनाएं खराब हैं और अन्य सामान्य लोगों की तुलना में इनकी आर्थिक स्थिति निम्न श्रेणी की है। सरकारी तंत्र को इनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए ऋण सुविधा और अन्य विकास कार्यक्रम जैसे प्रावधान व्यापक स्तर पर प्रदान करने होंगे।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

संदर्भ स्रोत

1. एल्विन, बेरियर, (1960), आदिवासी विकास कार्यक्रम पर अध्ययन दल की रिपोर्ट (पी. शैलू ए.ओ समिति) भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत की जनगणना 2011, जिला जनगणना पुस्तिका सीधी, सिरीज 24, भाग 12 ब, प्रकाशक महानिर्देशक जनगणना कार्य, मध्य प्रदेश।
3. भौमिक, पी. के. आदिवासी और सतत् विकास, कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.
4. बख्सी एवं बेलर, क. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास, दीप एवं दीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000.
5. शर्मा, बी. डी. आदिवासी विकास एक सैद्धान्तिक विवेचन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1982, 91-92.
6. कानूगों, सूजाता, आदिवासियों के बीच विकास कार्यक्रम, मोहित प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010.
7. मेहता, पी. सी., आदिवासी विकास एवं प्रथाएँ, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006.
8. माल्याद्री, पी. आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा: मानव विकास के लिए एक इंजन, इंटरनेशन जर्नल ऑफ रिसर्च स्टडीज इन एजुकेशन 2011, 1 (1): 99-106.
9. मेश्राम, ए. अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय विकास, इनोवेटि दि रिसर्च कन्सेप्ट, 2017 2 (4): 74-77.
10. नायडू, पी. आर. भारत के आदिवासी विकास की समस्यायें, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2002, पृ. 146.
11. राजा, रत्नम, बी. आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में संस्थागत ऋण का प्रभाव: आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले का एक अध्ययन, ग्रामीण विकास जर्नल, 2004, 23 (2): 21-29.
12. राव, पी. डी., ''आध्र प्रदेश के विशाखापटनम् के जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति'' एम.ई.आर.सी. ग्लोबल इंन्टनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेन्ट 2013, 1 (1): 36-50.

13.थाकर, एफ. भारत में जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास, दीप एवं दीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 1986.

14.वैद्य, एन. के. 2003, जनजातीय विकास: मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

15.विद्यार्थी, एल. पी. भारत में जनजातीय संस्कृति कनसेप्ट पब्लिसिंग कंम्पनी, नई दिल्ली, 1981.

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.